

निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 10/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं० 2025/39

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा आलनपुर, चमत्कार जी मन्दिर आलनपुर सर्किल, जिला सवाई माधोपुर।प्रार्थी

श्री नन्दपाल मीणा पुत्र श्री नारायण मीणा निवासी घुडासी, पोस्ट रामडी, जिला सवाई माधोपुर।

.....अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

—: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.09.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री नन्दपाल मीणा पुत्र श्री नारायण मीणा निवासी घुडासी, पोस्ट रामडी, जिला सवाई माधोपुर के स्वामित्व की चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन MARUTI BALENO ALPHA वाहन संख्या RJ25 CB5151 चेचिस नम्बर MBHEWB62SKH343765 इंजन नम्बर D13A-3529154 निर्माता MARUTI SUZUKI INDIA LTD. को हाईपोथिकेट कर कुल राशि 9,00,000 (नौ लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 17.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन MARUTI BALENO ALPHA वाहन संख्या RJ25 CB5151 चेचिस नम्बर MBHEWB62SKH343765 इंजन नम्बर D13A-3529154 निर्माता MARUTI SUZUKI INDIA LTD. का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 28/2/2025 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर